राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

51वीं बैठक दिनांक 21 नवम्बर, 2014 का कार्यवृत्त

श्री पल्लव महापात्रा, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने एस.एल.बी.सी. की 51वीं **बैठक** में माननीय मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी एवं श्री एन. रवि शंकर, मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन का हार्दिक अभिनन्दन किया और उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के 20,61,463 परिवारों में से 19,56,938 परिवारों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं। राज्य के कुल 2149 एस.एस.ए. में से 752 में ही कनेक्टिविटी उपलब्ध है, जहाँ बैंकों ने सभी परिवारों के बैंक खाते खोल दिए हैं।

उन्होंने भारत सरकार, राज्य सरकार एवं बी.एस.एन.एल. से अनुरोध किया कि राज्य के शेष 1397 एस.एस.ए. में टेलीकॉम कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएं ताकि बैंक अपने बी.सी. नियुक्त कर प्रदेशवासियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकें।

उन्होंने सदन को बताया कि राज्य का ऋण-जमा अनुपात पिछली तिमाही के सापेक्ष घटकर 61.19 % रह गया जिसका मुख्य कारण आपदा के बाद व्यवसायिक क्रियाओं का कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है और पर्यटन व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण अधिकतर होटल उद्योग का आय स्रोत घट गया है।

उन्होंने सभी बैंकों से आग्रह किया कि गाँवों में खोले जाने वाले बैंक बचत खाताधारकों को ATM-RuPay-Debit Card आवश्यक रूप से जारी किए जाएं क्योंकि इसमें **रू. 1 लाख का दुर्घटना बीमा** की सुविधा भी सम्मिलित है। अब तक बैंकों द्वारा **कुल 3,26,560 ATM-RuPay-Debit Card** जारी किए जा चुके हैं।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य के सभी जिलों में बैंकों द्वारा **341 एफ.एल.सी. कैम्प** आयोजित कर **22,481** व्यक्तियों को बैंकिंग संबंधी जानकारियाँ प्रदान की गयीं। राज्य सरकार से अनुरोध किया कि चम्पावत एंव उत्तरकाशी जिलों में आरसेटी हेतु भूमि उपलब्ध कराएं और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत ऋण आवेदकों को उनके कृषि भूमि के वाणिज्यिक प्रयोग हेतु शासनादेश शीघ्र जारी करवाने की कृपा करें।

उन्होंने मा. मुख्यमंत्री उत्तराखंड को अवगत कराया कि बैंकों द्वारा कुल 10,187 स्वयं सहायता समूहों को रु. 39.93 करोड़ के ऋण प्रदान किए गए हैं जिनमें से 70% एस.एच.जी. महिलाओं के हैं।

अंत में उन्होंने सभी बैंकों, राज्य सरकार, मीडिया एवं विभिन्न डेवलपमेन्ट एजेन्सियों का राज्य के विकास, प्रधानमंत्री जन-धन योजना के कार्यान्वयन में सहयोग एव ऋण प्रवाह को गति देने के लिये धन्यवाद दिया।

<u>श्री ब्रहमानंद, उप महाप्रबंधक, बी.एस.एन.एल.</u>

उप महाप्रबंधक, बी.एस.एन.एल. ने सदन को अवगत कराया कि राज्य के 15,700 गाँवों में से लगभग 10,700 गाँवों में 2जी. अथवा 3जी. कनेक्टिविटी उपलब्ध है परंतु बैंकिंग परिचालन हेतु ब्रॉड बैण्ड / वाई.-मैक्स सुविधा की आवश्यकता होती है जोकि सीमित स्थानों पर उपलब्ध है। बी.एस.एन.एल. राज्य के सीमांत एवं दूरस्थ क्षेत्रों में विशेष प्रयास कर टेलीकॉम कनेक्टिविटी शीघ्र उपलब्ध करा देगा, परंतु तब भी लगभग 3 से 4 हजार गाँवों में कनेक्टिविटी पहुँचाना मुश्किल होगा। वर्तमान में जहाँ टेलीकॉम कनेक्टिविटी की फ्रीक्वेन्सी कम है वहाँ विभाग द्वारा बैंकों की आवश्यकतानुसार फ्रीक्वेन्सी की स्पीड बढ़ाने का कार्य किया जा सकता है अन्यथा **"वी.-सैट"** को विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

श्री हरीश रावत, मा. मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एस.एल.बी.सी. संयोजक बैंक एवं अन्य बैंकों से अपेक्षा की कि प्रदेश के ग्रामीणों को फसली ऋण की राशि को एक मुश्त वितरित किया जाए ताकि वे अपनी आवश्यकतानुसार समय पर कृषि कार्य कर सकें, क्योंकि अधिकतर फसलों की खेती एक निश्चित मौसम में ही की जाती है। उन्होंने बैंकों को कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में दिए गए ऋण की वसूली में कठोर कदम न उठाएं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति को सामान्य होने में अभी और समय लग सकता है।

उन्होंने कहा कि राज्य में गत वर्ष आयी प्राकृतिक आपदा के कारण बैंक ऋण की अदायगी प्रभावित हुई है एवं उनके एन.पी.ए. बढ़े हैं, जिसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि प्रभावितों के बैंक ऋण पर लगाए गए दो वर्षों का ब्याज (15.06.2013 से 14.06.2015 तक) माफ करवाया जाए। इसमें एक वर्ष की ब्याज राशि केंद्र सरकार वहन करे और एक वर्ष का ब्याज राज्य सरकार वहन करने को तैयार है।

उन्होंने बैंकों से कहा कि पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए जिम कोर्बेट नेशनल पार्क के आसपास पर्यटकों के भ्रमण हेतु वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना के अंतर्गत नए वाहन हेतु बैंक ऋण स्वीकृत करे क्योंकि राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के लिए 3000 नए वाहन का परमिट जारी किया है। इसके अतिरिकत् क्षेत्र विशेष की पारंपरिक व्यवसाय (जैसे कि छोटे-छोटे कुटीर उद्योग, हैण्डीक्राफ्ट एवं हैण्डलूम) को विकसित करने के लिए अधिक से अधिक ऋण प्रदान करें। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों को वाणिज्यक भू-उपयोग परिवर्तित करवाने में कठिनाइयाँ आती हैं जिसके समाधान के लिये अब राज्य सरकार संशोधित अध्यादेश जारी करने जा रही है।

उन्होने यह भी कहा कि आगामी SLBC में अन्य Stakeholders तथा किसान समितियों/दुग्ध समितियों/श्रमिक संगठनों आदि को भी आमंत्रित करें ताकि उनकी बैंकिंग आवश्यकताओं को भी समझा/ समावेशित किया जा सके।

उन्होंने केंद्र सरकार के प्रतिनिधि से आग्रह किया कि वे उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में टेलीकॉम कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु बी.एस.एन.एल. के लिए विशेष नीति / दिशानिर्देश के साथ-साथ समुचित धनराशि निर्धारित करवाएं ताकि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन-धन योजना को सुगमतापूर्वक पूरे राज्य में लागू कर पूर्ण किया जा सके।

अंत में उन्होंने विशेष रूप से कहा कि एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड की बैठक में बैंकों से उप महाप्रबंधक एवं अन्य सरकारी विभाग के शीर्ष अधिकारियों द्वारा प्रतिभागिता की जानी चाहिए ताकि महत्वपूर्ण निर्णय सदन में ही लिए जा सकें। बैंक आपदा प्रभावित क्षेत्रों को पुन: विकसित करने की दिशा में समग्र रुप से प्रयास करें और दूर-दराज के क्षेत्रों / गाँवों में नई शाखा खोलने की प्रक्रिया में तेजी लायें।

उन्होने यह भी कहा कि SLBC के एजेंडा में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा भी विषय रखे जाने चाहिए।

श्री एन. रबि शंकर, मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन

मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन ने संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली से आग्रह किया कि राज्य में “आधार कार्ड” बनवाने की प्रक्रिया में तीव्रता लाने की व्यवस्था करें, ताकि बैंक खातों को “आधार संख्या” से जोड़ा जा सके जिससे प्रधानमंत्री जन-धन योजना एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत देय लाभ राशि को लाभार्थियों के बैंक खाते में सुगमतापूर्वक सीधे जमा की जा सके।

श्री राकेश शर्मा, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन

अपर मुख्य सचिव महोदय ने बैंकों से जानना चाहा कि सरकार द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के अंतर्गत बैंकों को प्रेषित आवेदन पत्रों के निस्तारण में कितना समय लग जाता है क्योंकि प्रेषित किए गए आवेदन एवं उनके वितरण के बीच काफी अंतर होता है। इसी क्रम में एस.एल.बी.सी. ने सदन को अवगत कराया कि किसी भी योजना के अंतर्गत प्रेषित आवेदन पत्रों को 15 दिनों के अंदर निस्तारित करना होता है।

उन्होंने राज्य के पहाड़ी दूरस्थ ऊँचाई पर स्थित गाँवों में टेलीकॉम कनेक्टिविटी पहुँचाने के लिए केंद्र सरकार एवं बी.एस.एन.एल. को सुझाव दिया कि **"सेटेलाइट"** के द्वारा तरंगे पहुँचाई जा सकती हैं, जिसके लिए भारत सरकार को इन दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अपनी नीतियों में संशोधन करने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में इन स्थानों पर न तो ऑन-लाइन बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं और न ही जनसाधारण को सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत देय लाभ राशि को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर से उनके बैंक खाते में जमा की जा सकती है।

श्री अनूप वाधवन, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

संयुक्त सचिव महोदय ने सदन को अवगत कराया कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत बैंकों को राज्य के सभी गाँवों में बैंकिंग सेवायें पहुँचाने के साथ-साथ प्रत्येक परिवार से एक बैंक खाता खोलना अनिवार्य है। उन्होंने उत्तराखंड राज्य में कार्यरत बैंकों द्वारा यह कार्य लगभग 80 % पूर्ण करने पर बधाई दी और कहा कि दिनांक 26 जनवरी, 2015 तक शत प्रतिशत उपलब्धि दर्ज कर ली जाए।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के द्वितीय चरण में माइक्रो इंश्योरेन्स एवं पेंशन की योजना भी लागू की जानी है। अत: बीमा कंपनियों को इस दिशा में बैंकों के साथ मिलकर कार्य करना होगा और बीमा से संबंधित आवेदन पत्र एवं उनके क्लेम फार्म को एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए ताकि आवेदन पत्रों में एकरूपता रहे एवं सुगमतापूर्वक उपलब्ध हो सके। इसी क्रम में सदन को अवगत कराया कि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी राज्य में माइक्रो इंश्योरेंस से संबंधित कार्यों के लिए नोडल एजेन्सी होगी। उन्होंने पुन: सभी बैंकों को निर्देशित किया कि यथाशीघ्र पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत खोले गए सभी खाताधारकों को ATM-RuPay-Debit Card उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें दुर्घटना बीमा का लाभ भी मिल सकें।

<u>श्री बिश्वा केतन दास, महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक</u>

महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी शीर्ष अधिकारियों को 51वीं एस.एल.बी.सी. बैठक में पधारने एवं मार्गदर्शन देने के लिये हार्दिक धन्यवाद किया। उन्होंने सभी बैंकों से आग्रह किया कि स्वयं सहायता समूहों को अधिक से अधिक ऋण स्वीकृत एवं वितरित किये जायें और क्षेत्र की पारंपरिक हैण्डीक्राफ्ट उत्पादों के निर्माण एवं उनके विपणन हेतु ऋण दिये जायें।

उन्होंने सदन को अवगत कराया कि 01 जनवरी, 2015 से राज्य के समस्त जिलों में डी.बी.टी. एवं डी.बी.टी.एल. लागू होने जा रहा है, इसलिए सभी बैंकों से पुन: आग्रह किया कि नए बैंक खाते खोलते समय उनमें “आधार कार्ड संख्या” को भी जोड़ (Seed) दें और पुराने खातों में भी “आधार कार्ड संख्या“ जोड़ना सुनिश्चित कर लें।

उन्होंने बैठक में पधारे शासन के उच्च अधिकारियों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सहयोगी बैंकों एवं बीमा कंपनियों से आये अधिकारियों का सहयोग एवं सहभागिता के लिये धन्यवाद किया।

****